न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री मन मोहन मीणा (आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या 82/2011

उनवान मुकदमा

मुर्ति मंदिर श्रीसीताराम जी जरिये महन्त व पुजारी गिरधारी दास चेला नारायण दास व पुत्र भूराराम जाट जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. छीतर मल (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि
1/1 श्रीमती झमरी देवी पत्नी स्व. श्री छितर मल
1/2 राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री छितर मल
1/3 सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री छितर मल
1/4 श्रीमती सुनीता देवी पुत्री स्व. छितर मल
समस्त जाति जाट निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

(दावा बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 183, 188 आर टी एक्ट 1955)
निर्णय प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी पी सी

निर्णय दिनांक 1.6.2022

प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के इस प्रार्थना पत्र के संक्षिप वाकेयात इस प्रकार है कि मूर्ति मंदिर सीताराम जी की तरफ से गिरधारी दास चेला नारायण दास ने प्रस्तुत प्रकरण हाल आराजी खसरा नं. 880/0.42 हैक्ट. ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा को वादी मंदिर के पूर्व महन्त स्व. श्री नारायणदास जी द्वारा प्रतिवादी को काश्त करने के लिये सन् 2005 मे बताना अंकित करते हुए प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर की खण्ड सं. 5 मे विवादित भूमि मंदिर से करीब 4, 5 किलोमीटर दूर होने व बारानी होने व मंदिर के अनुपयोगी होने के कारण मंदिर के पूर्व महन्त नारायणदास द्वारा उक्त भूमि को मंदिर के खर्चे के लिये रूपयो की आवश्यकता होने के कारण समस्त हक हकूक सहित एक लाख एक सौ ग्यारह रूपये मे दिनांक 16.11.1995 को श्री श्यामसुन्दर गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी खोरालाडखानी को विक्रय कर चूकती राशि प्राप्त कर कब्जा संभला दिया व उक्त बिचौती के संबंध मे श्यामसुन्दर के पक्ष में 10/रू. के एक स्टाम्प पर लिखावट लिखकर स्वयं नारायणदास ने अपने हस्ताक्षर पूर्व उप सरपंच व अन्य के समक्ष कर दिया। प्रतिवादी छीतरमल व उसके भाई घीसाराम ने उक्त श्यामसुन्दर गुप्ता से प्रश्नगत भूमि को दिनांक 26.11.1998 को 2,70,000/रू. दो लाख सतर हजार रूपये मे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, जिसके बाबत श्यामसुन्दर ने प्रतिवादी की बही मे लिखावट लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए, तब से प्रतिवादी प्रश्नगत आराजी पर काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी को सन् 2005 में भूमि काश्त पर देने का कथन करते हुए गलत रूप से वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि वादी व उसे पूर्व महन्त नारायणदास का सन् 1995 के पश्चात कभी कोई कब्जा नहीरहा है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मियाद बाहर होने व वादी को प्रतिवादी के विरूद्व कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से वाद का वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी पी सी खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा गिरधारीदास द्वारा पूर्व मे दिनांक 10.06.2010 को उक्त भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध नही होना व मन्दिर का कब्जा मानते हुये अदालत हाजा मे वाद सं. 57/2010 प्रस्तुत किया था। जिसके तथ्य उक्त वाद मे अंकित तथ्यो से एक दूसरे के विरोधाभासी है, इसलिये भी उक्त प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। मंदिर श्री सीताराम जी की ओर से उक्त गिरधारीदास ने अपने आपको मंदिर का महन्त व पुजारी होना बताते हुए यह वाद पत्र पेश किया है जो गलत है। जब तक गिरधारी दास मुर्ति मंदिर सीताराम जी का महन्त व पुजारी सक्षम सिविल न्यायाय से घोषित नही करवा ले, गिरधारी दास को दावा लाने का अधिकार नही है। इस कारण भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादोत्तर परिसीमा समाप्त होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया होने से चलने योग्य नही है। अन्त मे कथन किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियत 11 सपठित धारा 151 सी पी सी स्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उक्त प्रार्थना पत्र को जवाब अप्रार्थी (वादी) ने इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थना पत्र की मद सं 3 मे अंकित तथ्य विधि विरूद्ध एवं झुठे आधारो पर अंकित होने के कारण अस्वीकार है। विधि का प्रावधान है कि मुर्ति मंदिर की आराजी का विक्रय किसी भी मंदिर महन्त/सेवायत को करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। फिर भी इसके विपरीत जाकर ऐसा करता है तो वह विक्रय प्रारंभ से ही शुन्य है। इसके अलावा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानो के तहत इस प्रकार का कथन विधि विरूद्ध है इसलिये प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मे वर्णित तथ्य विधि विरूद्ध एंव मनघडंत, झुठे होने के कारण अस्वीकार है। तथा आदेश 7 नियत 11 सी पी सी के विरूद्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 मे वर्णित तथ्य विधि विरूद्ध, मनघडंत व गलत होने तथा आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 मे अंकित मियाद एवं वाद कारण नही होने के संबंध मे प्रार्थी (प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी संख्या TA/5695/2019 मे तनकियात कायम कर दी गयी है, अब यह मद न्यायालय मे प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही ट्रालय होने पर निर्णित किया जा सकता है, इस संबंध मे यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयो एवं राजस्थान राजस्व बोर्ड द्वारा अनेको बार यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी वाद पत्र मे वाद कारण अंकित किया गया है तो इसका निर्णय ट्रायल मे साक्ष्य आ जाने के उपरांत ही किया जायेगा और मियाद का विषय भी आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का नही है । इस आधार पर अनेको बार आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्रो को खारिज किया गया है। जिसके संबंध में DNJ/S.C)2018 P 470: CCC2018(सप्ली) P 768: एवं P 551 राजस्थान : CCC 2018(3) P 340 कर्नाटका : CCC 2017 (3) P 752 राज0 CCC 2017 (सप्ली) P 266 राजस्थान CCC 2017(4) P 754 मद्रास CCC 2017 (4) P 114 पंजाब व हरियाणा DNJ 216(4) P 1740 राजस्थान AIR 2015 S.C. P 147: DNJ 2011 (3) P 1066 राजस्थान नजीरो के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं.7 मे अंकित कथन बाबत वाद सं. 57/2010 का न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत करने के संबंध मे उक्त वाद के अधिवक्ता ने गिरधारी दास को कभी भी सूचित नही किया था तथा यह भी नही बताया था कि किस आधार पर यह वाद उक्त अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा मे प्रस्तत किया है। अतः जानकारी के अभाव मे अप्रार्थी (वादी) कोई सरोकार नही है। अन्त मे कथन किया है कि प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एंव माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयो राजस्व बोर्ड अजमेर द्वारा दी गई न्यायिक नजीरो के विपरीत होने के कारण तथा न्यायालय का समय बर्बाद करने की गर से प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी स मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रस्तुत प्रकरण मे दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया है कि वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध मे पहले दिनांक 10.06.2010 के स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरूद्ध दावा पेश किया है, दावापेश करने वाले ने यह दावा पूर्व महन्त नारायणदास द्वारा बटाईदार के हैसियत से पेश किया है। मन्दिर के पूर्व महन्त नारायणदास ने उक्त विवादित भूमि को स्टाम्प किमती 10/रू. पर श्यामसुन्दर गुप्ता निवासी खोरालाडखानी को कीमतन 100111/रू. एक लाख एक सौ ग्यारह रूपये मे बेचकर क्रेता को भूमि का कब्जा दिनांक 16.11.1995 को संभलाया है। इस प्रकार वादी को भूमि मुतनाजा पर दिनांक 16.11.1995 से कोई कब्जा काश्त नही है। प्रस्तुत दावा दिनांक 27.06. 2011 को बेदखली का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया है जो लिमिटेशन एक्ट अनुसार मियाद पश्चात पेश किया गया है। वादी को वाद कारण दिनांक 10.06.2011 को प्रतिवादी द्वारा धमकी देने पर पैदा हुआ है ।वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.06.2010 मे विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मंदिर मूर्ति का होना कहा गया है। इस प्रकार एक तरफ कब्जा होना बता रहे है तथा दूसरी तरफ प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली का दावा पेश किया गया है। इसके साथ ही वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने यह भी कथन किया है कि वादी को मंदिर मूर्ति का पुजारी होने का अधिकार भी है या नही, सक्षम न्यायालय से इसकी घोषणा करना आवश्यक है। वकील

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी द्वारा न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा 10.06.2010 को पेश किया गया है जिसे वकील वादी आज विड्रा करने का प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सी पी सी कभी भी पेश किया जा सकता है। विवादित भूमि पर वादी का वर्ष 1995 से कब्जा नही है बल्कि भूमि मुतनाजा पर हमारा कब्जा है जिसके संबंध मे हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य बेचाननामा दिनांक 16.11.1995 एवं 26.11.1998 है जिनकी प्रमाणित प्रति पत्रावली मे पेश की गई है। प्रतिवादी का 12 साल से अधिक समय से भूमि मुतनाजा पर कब्जा काश्त है अब दावा वादी मियाद बाहर पेश किया गया है वादी ने मंदिर की सेवा पूजा, भोग आदि के खर्च के लिये प्रतिवादी प्रतिवर्ष राशि देने को तैया है। विवादित भूमि मूर्ति मंदिर कीहै तो पुजारी को उक्त भूमि बेचने का अधिकार कहा से मिल गया। साथ ही प्रस्तुत वाद मे मंदिर के वर्तमान पुजारी या महन्त की क्या गारन्टी है कि वह भी कभी भूमि को नही बेचेगा। वाद द्वारा प्रस्तुत दोनो पृथक पृथक दावो मे अलग अलग कथन किया गया है। मियाद बाहर वाद पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सी पी सी स्वीकार फरमाया जावे तथा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता ने अपने समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत DNJ 2015 (S.C) 584 की नजीर पेश की है।

अप्रार्थी (वादी) के अधिवक्ता ने उनके द्वारा पेश नजीरो का अवलोकन कराते हुए अपनी बह समे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के चार कन्टेन्ट है। जिन पर ही निर्णय किया जाता है। यह प्रकरण सही पेश किया गया है या गलत यह तथ्य साक्ष्य मे ही तय हेागे, न कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 मे निर्णित होगे। राजस्व मण्डल ने प्रकरण मे तनकी कायम कर दी है जिन पर ही निर्णय किया जायेगा। विवादित भूमि का मालिकाना हक मंदिर मूर्ति के पास है। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) का यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो पर गहन मनन किया। यह सही है कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी मूर्ति मंदिर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जागीरो के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुद काश्त के रूप मे दर्ज थी, उस भूमि मे किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होगे। मूर्ति निरन्तर अव्यस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार आदि के माध्यम से काय कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नही होगे। माफी मे आई भूमि पर खातेदारी अधिकार मंदिर को मिलेगे और वह खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत मे किसी भी कब्जे के आधार पर नही मिल सकते है। चूंकि मूर्ति एक प्रप्रेच्यूअल माईनर शाश्वत नाबालिग है वह अपनी खातेदारी भूमि को किसी प्रकार से स्वयं काश्त नही कर सकती। इसके लिये मूर्ति मंदिर की भूमि अधिकांश रूप से बटाई पर ही दी जाती रही है। वह खुद काश्त नही कर सकती है। पुजारी द्वारा व अन्य व्यक्ति द्वारा मंदिर माफी काश्त की स्थिति मे बटाई या लगान की सूरत मे अनाज आदि प्राप्त करने पर भी काश्त करने वाले अथवा बटाईदार अथवा लगान देने वाले को इस तरह की भूमियो पर नियमानुसार कोई हक हासिल नही होते है। लेकिन मौके पर तो बटाईदार का ही कब्जा होता है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण मे पहले स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 10.06.2010 का दायर किया गया है तथा वादी मूर्ति द्वारा पुनः यह अन्य वाद जो दिनांक 28.06.2011 को पेश किया है। जो बेदखली का पेश किया गया है दोनो प्रकरण अल अलग प्रकृति के वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किये गये है दोनो वाद कारण पृथक पृथक अंकित किये गये है। मुर्ति मंदिर की ओर से पुजारी (महन्त) द्वारा पृथक पृथक वाद न्यायालय को गुमराह करने की नियत से पेश किये गये है जिनमे वाद कारण भी भिन्न भिन्न अंकित किये गये है। वादी मूर्ति की ओर से विवादित भूमि पर मौके पर कब्जा भी नही है। प्रतिवादी का 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। वादी मूर्ति के पुजारी ने यह दावा एक व्यक्तिगत रंजिश से पेश किया जाना पाया जाता है चूंकि मंदिर की अन्य ओर भी खातेदारी भूमि रिकार्ड मे दर्ज है उन पर भी अन्य काश्तकारो का ही कब्जा काश्त है। भूमि कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक समय तक जमीन पर कब्जा रखता है या उसकी देखभाल करता है और मालिक को इसके बारे मे पता है, लेकिन वह उसे कभी भी इसे हटाने के लिये नही कहता है तो ऐसा व्यक्ति इस जमीन का मालिक हो

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

जायेगा, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी (प्रतिवादी) तो खातेदारी अधिकार भी नही चाह रहे है लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 मे यह कही नही कहा गया है कि एडवर्स कब्जाधारी व्यक्ति अपनी भूमि को बचाने के लिये मुकदमा दायर नही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब्जा बचाने के लिये मुकदमा दायर कर सकता है साथ ही एडवर्स कब्जे की भूमि का अधिकार घोषित करने का दावा भी कर सकता है। चूंकि यह प्रकरण मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि के संबंध मे पेश है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी (प्रतिवादी) अपनी खातेदारी घोषणा का बिन्दु भी नही कह रहे है। भूमि मूर्ति के नाम ही दर्ज रहेगी, लेकिन एडवर्स पजेशन को बचाने के लिये कब्जाधारी अपने अधिकारो का उपयोग कर सकता है। प्रस्तुत दावा भी वादी द्वारा मियाद बाहर पेश किया गया है जबकि मूर्ति के पुजारी को 12 साल से अधिक समय से पूर्ण जानकारी रही है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी (प्रतिवादी) का मौके पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार यह वाद भी मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है।

वादी मूर्ति द्वारा दोनो पृथक पृथक वाद कारण भी भिन्न भिन्न दर्ज किये गये है। मंदिर की भूमि को मंदिर का पुजारी किसी प्रकार से अन्य किसी को बेच नही सकता है लेकिन प्रस्तुत वाद मे मंदिर के पूर्व महन्त (पुजारी) नारायण दास ने स्टाम्प कीमती 10/रू. दिनांक 16.11.1995 को श्यामसुन्दर गुप्ता को 1,00,111/रु. मे बेचान कर कब्जा क्रेता को संभलाया है। तभी से वादी मूर्ति मंदिर का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है। चाहे खातेदारी मुर्ति मंदिर के नाम से ही दर्ज क्यो न हो। उक्त लिखावट से मंदिर के महन्त/पुजारी ने भूमि विवादित का मालिकाना हक क्रेता का होना अंकित किया है। तभी से वादी मूर्ति मंदिर के वर्तमान पुजारी को इसकी पूर्ण जानकारी रही है कि विवादित भूमि पर कब्जाधारी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे यह दावा मियाद बाहर न्यायालय को गुमराह करने के लिये वर्तमान पुजारी द्वारा कब्जाधारी के विरूद्ध पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है। दौराने बहस अप्रार्थी (वादी) के द्वारा पूर्व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश दावा विड्रा करने का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो 12 वर्ष पश्चात पेश किया है। उक्त स्थाई निषेधाज्ञा वाद के विचाराधीन चलते वादी की ओर से यह दावा बाबत बेदखली वर्ष 2011 मे पेश किया गया है जो आपसी रंजिश से पेश किया जाना भी कहा जा सकता है। विवादित भूमि पर मौके पर प्रार्थी (प्रतिवादी) 12 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादी का यह वाद मियाद बाहर भी पेश किया गया है मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा के लिये प्रार्थी (प्रतिवादी) आज भी भोग राशि नियमानुसार देने को तैयार है। चूंकि मूर्ति नाबालिग शाश्वत है। वह खुद (स्वयं) काश्त करने मे असमर्थ है। वादी मूर्ति द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मियाद बाहर होने व वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने से दावा वादी खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है जब तक गिरधारी दास मूर्ति मंदिर सीताराम जी का महन्त या पुजारी होने बाबत सक्षम न्यायालय से घोषणा नही करवा ले। इस आधार पर दावा चलने योग्य नही है ।

अतः प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी विरूद्ध अप्रार्थी (वादी) स्वीकार किया जाता है उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वाद खारिज किया जाता है। वादी के द्वारा इस वाद पत्र के संलग्न स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विड्रा किये जाने से विड्रा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है। । साथ ही विवादित भूमि खसरा नं. 880/0.42 हैक्ट. वाकै ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को रिसीवरी से बागुजाश्त किया जाता है। रिसीवर तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि का कब्जा कब्जाधारी प्रार्थी (प्रतिवादी) को संभलाये।

निर्णय आज दिनांक....1.6.2022.....को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर